न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/597
मिसल नम्बर– 86 / 2025

1.सूरजमल बैरवा पुत्र श्री कन्हैयालाल बैरवा उम्र 72 वर्ष
2.सीता बाई सूरजमल बैरवा उम्र 70 वर्ष निवारीगण म.नं0 151–ए सेक्टर 4 केशवपुरा कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

आशा उर्फ चाहन्या बैरवा पत्नी स्व0 गिर्राज वर्मा पुत्री गोबरीलाल निवासी म0नं0 151 ए सेक्टर 4 केशवपुरा कोटा हाल निवासी मण्डोला रोड ताड़ का बालाजीह के मन्दिर के सामने की कॉलोनी राइस मील बारां

अप्रार्थीया।

–:निर्णय:–
(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 27/2/26

उपस्थिति:–
1.श्री रमेशचंद गुर्जर प्रार्थीगण अधिवक्ता
2.श्री मनोज गौतम अप्रार्थीया अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नं. 1 के स्वामभित्व एवं आधिपत्य का एक मकान नं. 151–ए, सेक्टर–4, केशवपुरा, कोटा में स्थित हैं जिसकी पैमाईश 53.36 वर्गमीटर में स्थित हैं जिसका आवंटन प्रार्थी नं. 1 के पक्ष में दिनांक एफ–(151) आवंटन/नगर विकास न्यास/86 दिनांक 07/09/1988 को जारी हो रहा हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त मकान को अपनी स्वर्जित आय से खरीद किया गया था। प्रर्थीगण का बड़ा पुत्र गिर्राज वर्मा का नाता विवाह प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया के साथ करवाया गया था। विवाह के पश्चात अप्राथीया द्वारा प्रार्थीगण के पुत्र व प्रार्थीगण को शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण के बड़े पुत्र गिर्राज वर्मा को खाने में दवाई मिलाकर पिला दिया, जिसके कारण प्रार्थीगण के पुत्र गिर्राज दिनांक 04/02/2023 को निधन हो गया। प्रार्थीगण के पुत्र गिर्राज वर्मा के निधन के पश्चात से ही अप्रार्थीया का व्यवहार प्रार्थीगण के प्रति और अत्यधिक क्रूरतापूर्ण हो गया। अप्रार्थीया आए दिन प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देकर उक्त मकान को अपने नाम कराने की धमकी देती हैं। प्रार्थीगण की चार पुत्रियां मुकेश बाई, मंजू बाई, रेखा बाई, पूजा हैं जिनका विवाह हो चुका हैं। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वर्तमान में उक्त मकान में अपने पोते–पोती के साथ निवासरत हैं। अप्रार्थीया के उक्त आचरण व दुर्व्यवहार के कारण प्रार्थीगण वर्तमान में क्रेशर बस्ती, अनंतपुरा, कोटा में निवास करते हैं। प्रार्थीगण के उक्त मकान में वर्तमान में प्रार्थीया, प्रार्थीगण के पोते–पोती निवास कर रहे हैं। अप्रार्थीया ना तो प्रार्थीगण का वृद्धावस्था में उनका ख्याल रखती है, ना ही उन्हें खाना–पीना देती हैं तथा आए दिन प्रार्थीगण के साथ गाली – गलौच कर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करती चली आ रही हैं। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण के पुत्र को भी षडयंत्रपूर्वक जान से मार दिया हैं, अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध आए दिन झूठे मुकदमें कर उन्हें बुढ़ापे में परेशान कर रही हैं, आए दिन अपने पीहर चली जाती हैं तथा अपने पीहर वालों से प्रार्थीगण को धमकी देकर उक्त मकान उसके नाम करने का दबाव बनाते हैं , जबकि प्रार्थीगण का उक्त मकान के अतिरिक्ति अन्य कोई रहने का स्थान नहीं हैं। अप्रार्थीया, प्रार्थीगण पर चप्पल, डण्डा आदि लेकर मारने दौड़ती हैं, प्रार्थीगण को भी हमेशा अंदेशा बना रहता हैं कि उक्त अप्रार्थीया, प्रार्थीगण के पुत्र की भांति उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना कारित ना कर दें । अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण का जीना दुश्वार कर रखा हैं। प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थीया के विरूद्ध थाना महावीर नगर कोट शहर में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन प्रार्थीगण की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की गई। अप्रार्थीया सदैव प्रार्थीगण की सम्पत्तियों को हड़प करने की नियत रही हैं तथा इस हेतु उसके द्वारा प्रार्थीगण व उसके पुत्र को शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता रहा हैं। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य के कारण प्रार्थीगण का जीना दुश्वार हो गया हैं। अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण की चल–अचल सम्पत्ति हड़प करने की बदनियति रखते हुए प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ना तो अप्रार्थीया, प्रार्थीगण की देखभाल व सार–संभाल करती हैं, ना ही उनके खाने–पीने हेतु देखरेख करती हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के साथ आए दिन गाली–गलौच कर लड़ाई झगड़ा विवाद कर प्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने की धमकी देते हैं। अप्रार्थीया आए दिन प्रार्थीगण के मकान पर आकर मकान को उनके नाम करने की धमकी देती हैं तथा प्रार्थीगण के साथ आए दिन गाली–गलौच कर लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करती चली आ रही है। प्रार्थीगण के साम्पत्तिक, प्राण एवं दैहिक अधिकारों की सुरक्षा न्यायहित में परमावश्यक हैं। इस कारण अप्रार्थीया को आदेश दिया जावें कि वह प्रार्थीगण को बुढ़ापे में शांतिपूर्वक अपने मकान में निवास करने देवें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीया को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थी के स्वामित्व के प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान संख्या 151 ए सेक्टर 4 केशवपुरा कोटा में शांतिपूर्ण निवास उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीगण के मकान में आकर प्रार्थीगण से नाजायज रूप से लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच नही करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीया कोई काम धंधा नही जानती है तथा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थीया की कोई इन्कम नही है इसलिये अप्रार्थीया प्रार्थीगण का भरण पोषण करने में सक्षम नही है। अप्रार्थीया का नाता विवाह होना व पति गिर्राज का दिनांक 04.02.2023 को मात्र निधन होना स्वीकार है, शेष जिस प्रकार से लिखा गया है, मनगढ़न्त, झूँठा एवं असत्य होने से अस्वीकार है । प्रार्थीगण का उक्त मकान में निवास करना स्वीकार नही है क्योकि प्रार्थीगण स्वयं उक्त मद में स्वीकार कर रहे है कि प्रार्थीगण वर्तमान में क्रेशर बस्ती , अनन्तपुरा कोटा में निवास करते है। प्रार्थीगण का उक्त मकान के अलावा एक अन्य मकान क्रेशर बस्ती , अनन्तपुरा कोटा में है, जिसमें प्रार्थीगण निवास करते है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीया से ही अलग निवास करते है इसलिये उक्त मद में अंकित सभी तथ्य झुठे, असत्य होने से अस्वीकार है। झूठी शिकायते होने से थाने वालों द्वारा शिकायते खारिज दी। अप्रार्थीया के पति एवं पुत्र के देहान्त के बाद से ही प्रार्थीगण अप्रार्थीया पर डायन होने का इल्जाम लगाकर अप्रार्थीया को ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे है और अपने वैववाहिक घर में निवास नही करने देते है और अप्रार्थीया को डायन बताते हुये कहते है कि "तु हमारे पुत्र एव पोत्र को खा गई है, तु हमें भी खा जायेगी, और इस प्रकार अप्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा करके अप्राथीया को घर से भगा दिया है। अप्रार्थीया की कभी भी सम्पत्तियों को हड़प करने की नियत नही रही है, कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया गया है और ना ही दुर्व्यवहार किया गया, अप्रार्थीया तो प्रार्थीगण की नाता विवाह के बाद से ही सेवा सुश्रुषा, देखभाल करती रही तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था जर्ये पति करती रही है लेकिन अपनी पुत्रियों के बहकावे में आकर प्रार्थीगण ही अपने दूसरे मकान में रहने चले गये और वही निवास कर रहे है, अप्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद भी अप्रार्थीया ने प्रार्थीगण के साथ रहकर उनकी देखभाल, सार संभाल करने एवं उनके खाने पीने की व्यवस्था देखने, घर का सारा कामकाज करने का विश्वास दिलाने तथा अप्रार्थीया के माता पिता नही होने से अप्रार्थीया द्वारा हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मुझे एक कमरे में रहने दो मैं तुम्हारा सभी प्रकार का ध्यान रखूँगी और तुम्हारी सार संभाल एवं सभी प्रकार की व्यवस्था संभाल लूँगी परन्तु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया पर झूँठा इल्जाम लगाते हुये कि "तु डायन है, तु हमारे पुत्र एवं पोत्र को खा गई है, तु हमें भी खा जायेगी, और इस प्रकार अप्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा करके शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, मारपीट कर अप्रार्थीया को घर से भगा दिया। अप्रार्थीया का विवाह प्रार्थीगण के पुत्र गिर्राज वर्मा के साथ 2004 में नाता प्रथा के अनुसार सम्पन्न हुआ था और अप्रार्थीया ने नाता विवाह के बाद से ही अपने पति व प्रार्थीगण के साथ अपने वैवाहिक घर म.नं. 141–ए सेक्टर–4 केशवपुरा कोटा निवास किया और प्रार्थीगण का पूरा पूरा ख्याल रखा गया और उनकी सेवा सुश्रूषा की गई। अप्रार्थीया के अपने पति गिर्राज के नुत्फे से तीन संताने दो पुत्रियां संध्या एवं एक पुत्र रौनक पैदा हुआ। अप्रार्थीया की कभी भी सम्पत्तियों को हड़प करने की नियत नही रही है, कभी भी शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया गया है और ना ही दुर्व्यवहार किया गया,

अप्रार्थीया तो प्रार्थीगण की नाता विवाह के बाद से ही सेवा सुश्रूषा, देखभाल करती रही तथा उनके खाने पीने की व्यवस्था जर्ये पति करती रही है लेकिन अपनी पुत्रियों के बहकावे में आकर प्रार्थीगण ही अपने दूसरे मकान में रहने चले गये और वही निवास कर रहे है, अप्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद भी अप्रार्थीया ने प्रार्थीगण के साथ रहकर उनकी देखभाल, सार संभाल करने एवं उनके खाने पीने की व्यवस्था देखने, घर का सारा कामकाज करने का विश्वास दिलाने तथा अप्रार्थीया के माता पिता नही होने से अप्रार्थीया द्वारा हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मुझे एक कमरे में रहने दो मैं तुम्हारा सभी प्रकार का ध्यान रखुँगी और तुम्हारी सार संभाल एवं सभी प्रकार की व्यवस्था संभाल लूँगी परन्तु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीया पर झूठा इल्जाम लगाते हुये कि "तु डायन है, तु हमारे पुत्र एवं पोत्र को खा गई है, तु हमें भी खा जायेगी, और इस प्रकार अप्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा करके शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर, मारपीट कर अप्रार्थीया को अपने वैवाहिक घर म.नं. 141–ए, सैक्टर –4 केशवपुरा कोटा से भगा दिया। और कहा कि तु कही पर भी जा हमारा तेरे से कोई लेना देना एवं वास्ता नही है, तु कही भी जा और अप्रार्थीया को घर में घुसने तक नही दे रहे है और अप्रार्थीया के उक्त वैवाहिक घर के कमरो में किरायेदार रख दिये है। अप्रार्थीया के पीहर पक्ष में मॉ. बाप, भाई कोई नही है, अप्रर्थीया मारी मारी फिर रही है, तथा मामा के पास रहकर बड़ी मश्किल से जीवन गुजर बसर कर रही है, अप्रार्थीया को बच्चियों से भी मिलने नही दे रहे है, अप्रार्थीया अपने पति के मकान अपने वैवाहिक घर में अपनी बच्चियों के साथ रहना चाहती है लेकिन प्रार्थीगण अपनी मनमानी कर रहे है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे है धमकियां दे रहे है तथा अप्रार्थीया को अपनी पुत्रियों के लाड़, प्यार, प्रेम आदि से वंचित कर रहे है। अप्रार्थीया का कोई सहारा नही है, अप्रार्थीया की कोई आय का स्त्रोत नही है, अप्रार्थीया श्रीमान् से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि अप्रार्थीया को मकान नं. 141 ए सैक्टर 4 केशवपुरा कोटा में रहने के लिये एक कमरा दिलाया जाये जिससे अप्रार्थीया को दर दर की ठोकरे नही खानी पड़े और अपना बचा खुचा जीवन अपनी पुत्रियों के साथ रहकर गुजार सके। अप्रार्थीया को अपने भरण पोषण की व्यवस्था भी प्रार्थीगण से करवाई जाये क्योकि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की स्वयं की आय 200,000/–रूपये वार्षिक बताई गई तथा प्रार्थीगण को कमरो से किराये की भी आय होती है जिससे प्रार्थीगण की करीब 5,00,000/–रूपये हो जाती है। अप्रार्थीया को भरण पोषण के लिये करीब 10,000/–रूपये दिलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीया प्रार्थीगण के साथ रहकर भी प्रार्थीगण की समस्त प्रकार की देखभाल, सेवा सुश्रुषा आदि करने का पूरा पूरा विश्वास दिलाती है। अतः श्रीमान से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाये। तथा अप्रार्थीया को निवास करने के लिये अपने वैवाहिक घर म.नं. 141–ए सैक्टर नं. 4, केशवपुरा कोटा में एक कमरा एवं किचन दिलाये जाने एवं

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अपने भरण पोषण के लिये 10,000/—रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मासिक दिलवाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया गया। अप्रार्थीया की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त मकान की पटटा फोटो प्रति पेश की है।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मकान की पटटा फोटो प्रति के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उपरोक्त मकान प्रार्थी क्रम 1 के स्वामित्व में है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है।

परंतु न्यायहित एवं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुये प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीया को पांबद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अप्रार्थीया की ओर से हस्तगत प्रकरण में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया है अप्रार्थीया को निवास करने के लिये अपने वैवाहिक घर म.नं. 141— ए सैक्टर नं. 4, केशवपुरा कोटा में एक कमरा एवं किचन दिलाये जाने एवं अपने भरण पोषण के लिये 10,000/—रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मासिक दिलवाये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिको को भरण पोषण अधिनियम के जवाब में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर जो अनुतोष चाहा है वह अनुतोष अप्रार्थीया को काउन्टर क्लेम के माध्यम से इस प्रार्थना पत्र के स्तर पर नही दिलाया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान लागू करता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा